



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
सीमाशुल्क आयुक्त का
कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोचिन CUSTOM HOUSE,
WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422

E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

व्यापार सुविधा सं. TRADE FACILITY NO: 15/2018

विषय : सरकारी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में बैंक खातों का वैधीकरण
Sub: **Validation of Bank Accounts in Public Financial Management System (PFMS).**

सभी निर्यातकों, सीमाशुल्क ब्रोकरों और अन्य हितधारकों का ध्यान इस सीमाशुल्क गृह के माध्यम से शुल्क वापसी दावों के लिए नौवहन बिल फाइल करने की ओर आकर्षित किया जाता है।

Attention of all Exporters, Customs Brokers and other stake holders are invited filing Shipping Bills with drawback claims through this Custom House.

2. यह देखा गया है कि इस सीमा शुल्क साइट के माध्यम से वितरण के लिए बड़ी संख्या में शुल्क वापसी दावे लंबित हैं। पूछताछ करने पर यह पता चला कि निर्यातकों द्वारा फाइल किए गए नौवहन बिल जिनके बैंक खाते, सीमा शुल्क के वितरण के लिए सीमा शुल्क के साथ पंजीकृत हैं, जिन्हें पीएफएमएस द्वारा सत्यापित और स्वीकार नहीं किया गया है, को स्कॉल में स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं। ये नौवहन बिल लंबित के रूप में दिखाए जाते हैं और शुल्क वापसी को वितरित नहीं किया जाता है। नौवहन बिल दाखिल करते समय सभी से अनुरोध किया गया था कि नौवहन बिल को निम्नलिखित संदेश के लिए सत्यापित कर लें।

It is noticed that a huge number of Drawback claims are pending for disbursal through this Customs Site. On enquiry, it was learned that the shipping bills filed by the exporters whose bank accounts, registered with Customs for disbursal of drawback amount, which are not verified and accepted by PFMS are not moved to scrolls. These Shipping Bills are shown as pending and the drawback is not disbursed. At the time of filing Shipping Bills, all requested to verify the Shipping Bills for the following message.

```
AD. Code : 6390018 DBK Bank a/c No. : 615251001947
# Account No. is Not Validated by PFMS hence this Shipping Bill would not be a part of RO
I.F.S. Code : ICIC0000016 ST / Excise Regn. :
GSTN ID : 33AABCB8891Q1ZZ GSTN Type : GSN
IGST Tax Value(INR) : 1800400.00 IGST Amt Paid(INR) : 324072.00
INVOICE DETAILS Invoice 1/1
Inv.val : 1800400.00 INR 1800400.00 INR FOB Val : 1794467.00 INR
Inv.No. : BEL/INV/004/17-18 Inv Dt : 11/11/2017
```

“खाता सं का पी एफ एम एस द्वारा वैधीकरण नहीं हुआ है, इसलिए यह नौवाहन बिल
..... स्कॉल का भाग नहीं हो सकता।”

“Account No is Not validated by PFMS Hence this shipping bill would not be a Part of scroll”.

3. यदि नौवहन बिल पर इस तरह के संदेश दिखाई दें, सीमाशुल्क गृह के सांख्यिकी विभाग से संपर्क करें और शुल्क वापसी के भुगतान के लिए बैंक खाता विवरण को दोबारा दर्ज करें। ऐसा करने के 2-3 दिनों के बाद पीएफएमएस के साथ खाते की स्थिति का पता लगाया जा सकता है।

If such message appears on the Shipping Bills, you should approach Statistics Department of this Custom House and re-file the Bank Account details

for payment of duty drawback. The status of the account with PFMS can be ascertained after 2-3 days of doing this.

<http://www.cochincustoms.gov.in>.

4. कठिनाई यदि कोई हो, तो उसे अधोहस्ताक्षरी की सूचना में लाएँ।
Difficulties, if any, may be brought to the notice of the undersigned.

Sd/-

**(एस अनिल कुमार S. ANILKUMAR)
अपर आयुक्त ADDITIONAL COMMISSIONER**

फा सं. F.No.S34/19/2018 DBK. Cus.

दिनांक Dated:28.05.2018

प्रतिलिपि Copy to :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय शुल्क, केंद्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क।
The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise and Customs.
- 2° आयुक्त की फाइल/ अपर आयुक्त/ सभी उप आयुक्त व सहायक आयुक्त, विकास आयुक्त (सीएसईज़ेड) सभी मूल्य निरूपक/ सभी अनुभाग/ गार्ड फाइल और डाक सूची के अनुसार। सभी संबंधित अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे इसे नोट करें और निर्देशों/ परिवर्तनों का अनुपालन करें।
Commissioner's file/Addl Commissioners/ All D.Cs & A.Cs/ Development Commissioner (CSEZ)/ All Appraisers/ All Sections / Guard File and as per mailing list. All concerned officers are directed to note and comply with the instructions/changes
3. राजभाषा यूनिट Official Language Unit
4. दी कोचीन कस्टम्स ब्रोकर्स असोसिएशन, कोचीन
The Cochin Customs Brokers Association, Cochin

//अनुप्रमाणित / ATTESTED//

**//एम.एस.सुरेश/ M.S.SURESH//
सहायक आयुक्त (शुल्क वापसी)
Asst Commissioner (Drawback)**